निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 वैशाख 1939 (श0)
(सं0 पटना 423) पटना, शुक्रवार, 19 मई 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

18 मई 2017

सं0 एल0जी0-01-13/2017/99 लेज: ।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल **दिनांक 15 मई, 2017** को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 15, 2017]

पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

प्रस्तावनाः– चूँकि, पटना विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों को शिक्षक पद की परिभाषा में समाहित किया जाना आवश्यक है;

और, चूँकि, पटना विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अनुभवी पदाधिकारियों की सेवा लिया जाना उचित है;

अतः पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा–2 एवं धारा–16 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।– (1) यह अधिनियम पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा–2 में संशोधन।– बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) की धारा–2 (द) का मुख्य भाग निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः–

''(द) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, अध्यादेश, नियम या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ''शिक्षक'' से अभिप्रेत है केवल विश्वविद्यालय प्राचार्य/प्राचार्य, प्रधानाचार्य, सह–प्राचार्य (रीडर) तथा सहायक प्राचार्य (व्याख्याता) के पद एवं यू0जी0सी0 के द्वारा समय–समय पर निर्गत विनियमों में शिक्षक की श्रेणी में स्वीकार किए गए पद;''

3. बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा–16 में संशोधन । – अधिनियम की धारा–16 की उप–धारा (1) को निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

''(1) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के बावजूद यदि कुलाधिपति उचित समझे तो वह राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी विश्वविद्यालय को कुलसचिव के पद के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों सहित योग्य व्यक्तियों का नाम भेजने का अनुरोध कर सकेगा तथा वैसी स्थिति में जब राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा एक या एक से अधिक पदाधिकारियों का नाम कुलसचिव के रूप में नियुक्ति के लिए, निर्धारित सेवा शर्त्तों, जो वे उचित समझे, के अधीन भेजा जाता है, तो कुलाधिपति उनमें से किसी को कुलसचिव के रूप में नियुक्त कर सकेंगे।

4. व्यावृत्ति। – अधिनियम की धारा–2 (द) एवं धारा–16 की उप–धारा (1) में संशोधन के होते हुए भी, पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या समझी जायेगी और अधिनियम की धारा–2 एवं 16 के प्रतिस्थापन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या की जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

18 मई 2017

सं0 एल0जी0-01-13/2017/100 लेज:।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 15 मई 2017 को अनुमत **पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 15, 2017]

Patna University (Amendment) Act, 2017

AN

ACT

To amend Patna University Act, 1976 (Bihar Act 24, 1976)

Preamble— Whereas, it is expedient to incorporate Principals of colleges under Patna University within the definition of teachers of the University.

And, whereas, it is proper to take the services of experienced retired officers of Bihar Administrative Service to the post of Registrar in Patna University.

Hence, it is necessary to amend section 2 and section 16 of Patna University Act, 1976.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty eighth year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and Commencement.—This Act may be called The Patna University (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in Section-2 of Bihar Act, 24, 1976— The main part of section 2 (r) of the Patna University Act, 1976 (Bihar Act 24, 1976) shall be substituted by the following:-

“(r) "Teacher" means person holding the post of only university Professor/Professor, Principal, Associate Professor (Reader) and Assistant Professor (Lecturer) and such sanctioned post in the teacher's grade on the basis of regulations issued by the U.G.C. from time to time.

3. Amendment in section-16 of the Bihar Act 24, 1976.- (1) sub-section (1) of section 16 of Patna University Act, 1976 shall be substituted by the following :-

"(1) Notwithstanding any provisions of the Act, if the Chancellor thinks fit, he may request the State Government, Central Government, University Grant Commission or any University to send names of suitable officers including the retired officers of Bihar Administrative Service for the post of Registrar, and in that case State Government, Central Government, University Grant Commission or any University may send the name of one or more officers for consideration for appointment as Registrar under such terms and conditions of service, as he may consider fit, and then the Chancellor shall appoint the Registrar from amongst them.

4. Saving - Notwithstanding the amendment made in section-2 (r) and sub-section (1) of section-16 of this Act, anything done or decision or action taken prior to it shall be deemed to have been validly done or taken and shall not be questioned on the ground of amendment.

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 423-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in